

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-WP-61/सेक-2-पाँच-17-4(285)/2016
लखनऊ :: दिनांक 10 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा० सौभाग्य प्रकाश (वरि०क०-8146), रेडियोलाजिस्ट, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला संयुक्त चिकित्सालय कौशाम्बी को कार्यालय ज्ञाप संख्या-4488/सेक-2-पाँच-16-4(285)/16, दिनांक 10.12.2016 द्वारा जनहित में वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया गया।

2- उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध डा० सौभाग्य प्रकाश द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-ए 152/2017 डा० सौभाग्य प्रकाश बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2017 को पारित आदेश के आपरेटिव अंश निम्नवत् हैं:-

".....Till the next date of listing effect and operation of the impugned order dated 10.12.2016 (Annexure 8 to the writ petition) shall remain stayed.

This order will not come in the way of the department to transfer the petitioner at any subsequent stage without violating the government policy."

3- मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की प्रति के साथ डा० सौभाग्य प्रकाश का प्रत्यावेदन दिनांक 14.01.2017 शासन में प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2017 के क्रम में स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।


4- सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-4488/सेक-2-पाँच-16-4(285)/2016 दिनांक 10.12.2016 द्वारा डा० सौभाग्य प्रकाश का वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कौशाम्बी से वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के पद पर किये गये स्थानान्तरण को मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में तत्काल प्रभाव से सुनवाई की अगली तिथि तक एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- WP-61 (1)/सेक-2-पाँच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 4- जिलाधिकारी, कौशाम्बी/प्रतापगढ़।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कौशाम्बी/प्रतापगढ़।
- 6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कौशाम्बी/प्रतापगढ़।
- 7- मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 9- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे०एल० यादव)
अनु सचिव।